आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 01.12.2025 समय : 0705

<><><><><><><><>

- रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 128वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काशी–तमिल संगमम् के चौंथे संस्करण पर तमिल सीखने का संदेश दिया।
- संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू–सरकार ने तेरह महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने का लक्ष्य रखा।
- द्वीपसमूह में एसआईआर कार्यक्रम की नई समय सारणी घोषित– नामांकन गणना कार्य अब ग्यारह दिसम्बर तक जारी रहेगा।
- द्वीपसमूह में राज्य स्तरीय स्कूल खेलों में प्रतिभागियों का शानदार प्रदर्शन–प्रतियोगिता का समापन आज होगा।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के नवीनतम संस्करण में काशी–तमिल संगमम् 4.0 के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भाषा और संस्कृति का अद्भुत संगम है, जहाँ तमिल जैसी प्राचीन भाषा और काशी जैसे प्राचीन शहर का मेल एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि चौथा काशी–तमिल संगमम् कल से काशी के नमो घाट पर शुरू हो रहा है और इस वर्ष की थीम "Learn Tamil – तमिल करकलम्" है। उन्होंने इसे तमिल भाषा और संस्कृति प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया और कहा कि काशीवासियों में तमिलनाडु से आने वाले मेहमानों का स्वागत करने का उत्साह अद्भुत है। प्रधानमंत्री ने तमिल संस्कृति और भाषा की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि तमिल संस्कृति और तमिल भाषा दोनों ही महान है, तमिल भारत का गौरव है।

<><><><><><><>

रेडियो कार्यक्रम मन की बात कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए बेहद खास रहा। कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजधानी श्री विजयपुरम स्थित भारतीय नौसेना संग्रहालय जिसे समुद्रिका के नाम से जाना जाता है का जिक्र करके नागरिकों को रोमांचित कर दिया।

यह संग्रहालय द्वीपों के इतिहास, भूगोल, जनजातीय संस्कृति और समुद्री विरासत का विस्तृत परिचय कराता है। संग्रहालय में अंडमान–निकोबार के आदिवासी समुदायों, समुद्री जीव–जंतुओं, दुर्लभ कोरल, शंख और विभिन्न समुद्री संसाधनों को संरक्षित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय नौसेना के मॉडल युद्धपोत, नेविगेशन उपकरण और समुद्री सुरक्षा से संबंधित प्रदर्शन भी यहाँ प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। समुद्री जीवन में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए संग्रहालय में मौजूद समुद्री प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े नमूने विशेष आकर्षण का विषय हैं।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रायपुर में आयोजित साठवीं अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पुलिस प्रणाली की छवि में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के बीचपुलिस की सकारात्मक छवि निर्मित करने के लिये पेशेवर दक्षता संवेदनशीलता और त्वरितप्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने शहरी पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर्यटक पुलिस को सक्रिय करने और नये दण्ड विधान के प्रतिजन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया।

<><><><><><><>

संसद का शीतकालीन सत्र आज से आरम्भ होगा, जिसमें सरकार तेरह विधेयकों को पारित कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विधायी कार्यसूची में राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधनविधेयक परमाणु ऊर्जा विधेयक कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक बीमा कानून संशोधन विधेयक तथा उच्च शिक्षा आयोग भारत विधेयक दो हजार पच्चीस प्रमुख रूप से शामिल हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक दो हजार पच्चीस प्रस्तुत करेंगी। इसके अतिरिक्त वर्ष दो हजार पच्चीस छब्बीस के लिए अनुदानों की पहली पूरक मांगों पर चर्चा और मतदान भी इसी सत्र में होगा। सत्र की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक

आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में छत्तीस दलों के पचास प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल.कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। इस नयी समय सारणी के अनुसार नामांकन गणना कार्य अब ग्यारह दिसम्बर तक जारी रहेगा, जबकि मसौदा निर्वाचक नामावली सोलह दिसम्बर को प्रकाशित की जाएगी। दावों और आपत्तियों की अवधि सोलह दिसम्बर से अगले वर्ष पन्द्रह जनवरी तक तथा सुनवाई और सत्यापन सात फरवरी तक निर्धारित की गई है। अंतिम निर्वाचक नामावली चौदह फरवरी को प्रकाशित होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा वितरित प्रपत्रों को निर्धारित अवधि के भीतर जमा करने की अपील की है। मतदाता सहायता के लिये अपने बूथ स्तरीय अधिकारी से संपर्क या निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर एक नौ पांच शून्य पर कॉल कर सकते हैं।

<><><><><><><>

नागालैंड के स्थापना दिवस पर, आज द्वीपों के उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि नागालैंड अपनी ऊँची पहाड़ियों, समृद्ध परंपराओं और दृढ़ निश्चयी लोगों के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य अपने गौरवशाली विरासत, एकता और प्रगति की यात्रा के लिए विशेष स्थान रखता है।

इसके साथ ही विश्व एड्स दिवस के अवसर पर उप–राज्यपाल ने कहा कि एचआईवी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में अभी भी मौजूद है और लाखों जीवन को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने लोगों से एचआईवी और एड्स से संबंधित मुफ्त और गोपनीय सेवाओं का लाभ लेने का अनुरोध किया।

<><><><><><><>

चौबीसवें राज्य स्तरीय स्कूल खेल और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नौवें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कल विभिन्न स्पर्धाओ में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में नौ शैक्षिक अंचल क्षेत्रों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। शतरंज, योग के अलावा टेबल टेनिस और बैडमिन्टन बालिका की श्रेणी में श्री विजयपुरम प्रथम रहा। टेबल टेनिस के बालक एकल तथा युगल दोनों में लिटिल अण्डमान, रोड साइकिल दौड़ बीस किलोमीटर बालक वर्ग में डिगलीपुर के सुमित दास, जबकि दस किलोमीटर बालिका वर्ग में कार निकोबार की डोरोथी ने बढ़त बनाई। प्रतियोगिताओं का समापन आज शाम चार बजे होगा।

<><><><><><><>

केन्द्र सरकार ने इक्कीस नवम्बर से देशभर में चार श्रम संहिताओं को लागू कर श्रम सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। वेज कोड दो हजार उन्नीस, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड दो हजार बीस, कोड ऑन सोशल सेक्योरिटी दो हजार बीस और ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन्स कोड दो हजार बीस के लागू होने से उनतीस पुराने श्रम कानून एक ढांचे में समाहित हो गए हैं। इन संहिताओं का उद्देश्य श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करना, उद्योगों के लिए नियमन सरल बनाना और कार्यस्थलों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है। इनके लागू होने से सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र, समय पर वेतन तथा व्यापक सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों तक भी पी एफ ए, ई एस आई सी और बीमा जैसी सुविधाएं विस्तारित की गई हैं। चालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों के लिये निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया गया है। महिलाओ के लिये सभी क्षेत्रों में रात्रि कार्य की अनुमति उनके सहमति और सुरक्षा प्रबन्धो के साथ सुनिश्चित की गई है। नये प्रावधानों से उद्योगों को एक ही पंजीकरण एक ही लाइसेंस और एक ही रिटर्न की सुविधा मिलेगी। विवाद निवारण के लिये दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण स्थापित किये जाएंगे।

<><><><><><><>